

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 986/2011

संस्थापित दिनांक 24/10/2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
एण्डोरी जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. राजकुमार पुत्र राधेश्याम सिंह गुर्जर उम्र 30 वर्ष
2. इन्दल उर्फ इन्द्रासिंह पुत्र रघुनाथ सिंह गुर्जर उम्र 35 वर्ष
3. वकील पुत्र रामसहाय गुर्जर उम्र 35 वर्ष
4. रामवीर पुत्र बाबूसिंह गुर्जर उम्र 53 वर्ष
5. मोहरसिंह पुत्र परशुराम सिंह गुर्जर उम्र 53 वर्ष
6. दलवीर पुत्र गजेन्द्र सिंह गुर्जर उम्र 25 वर्ष
निवासीगण— ग्राम भूरे का पुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड
7. भूरा पुत्र जसवन्त सिंह गुर्जर उम्र 40 वर्ष
निवासी— ग्राम बारे का पुरा थाना बामौर जिला मुरैना
8. राकेश पुत्र मेहताब सिंह गुर्जर उम्र 37 वर्ष
निवासी— ग्राम लक्ष्मनगढ थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर
9. मनोज पुत्र बदनसिंह गुर्जर उम्र 26 वर्ष
निवासी— ग्राम लक्ष्मनगढ थाना मालनपुर जिला भिण्ड
म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा— 174(क) भा0द0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्रीमती हेमलता आर्य ।)

(आरोपी राजकुमार, इंदल सिंह, रामवीर एवं मोहरसिंह द्वारा अधिवक्ता—श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव ।)

(आरोपी वकील सिंह द्वारा अधिवक्ता—श्री भूपेन्द्र कांकर ।)

(आरोपी दलवीर द्वारा अधिवक्ता—श्री बी0एस0यादव ।)

(आरोपी मनोज, राकेश, भूरा द्वारा अधिवक्ता—श्री आर0पी0एस0गुर्जर ।)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 18/12/17 को घोषित किया)

आरोपीगण पर पुलिस थाना एण्डोरी के अपराध क्र0 61/11 में हाजिर होने के लिए न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.11 को द0प्र0सं0 की धारा 82 के उपखण्ड 1 के अंतर्गत जारी उद्घोषणा

की अपेक्षा अनुसार दिनांक 08.08.11 को न्यायालय में हाजिर न होने हेतु भा0द0सं0 की धारा 174(क) के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि पुलिस थाना एण्डोरी के अपराध क्र0 61/11 धारा 307, 147, 148, 149, 353, 332, 186, 323, 224, 225 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 में फरार आरोपी राजकुमार, इन्दल, वकील, रामवीर, मोहरसिंह, बलवीर, मनोज, राकेश, भूरा, भानु, धर्मेन्द्र, कल्ली उर्फ दिनेश, कल्ला उर्फ गजन्द्र सिंह गुर्जर के फरार होने से उक्त आरोपीगण के विरुद्ध धारा 82 द0प्र0सं0 की कार्यवाही न्यायालय गोहद द्वारा दिनांक 08.07.11 को की गई थी एवं आरोपीगण को दिनांक 08.08.11 तक उपस्थित होने हेतु उद्घोषणा पत्र जारी किए गए थे जो कि उनके निवास स्थान एवं सार्वजनिक स्थान तथा स्कूल पर चस्पा किए गए थे लेकिन आरोपीगण राजकुमार, इन्दलसिंह, वकील, रामवीर, मोहरसिंह, बलवीर, मनोज, राकेश एवं भूरा न तो थाने पर और ना ही न्यायालय में उपस्थित हुए थे। आरोपीगण द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया था जो कि भा0द0सं0 की धारा 174(क) के अधीन दण्डनीय है। फरियादी तत्कालीन प्रभारी आर0एस0 भदौरिया द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना एण्डोरी में अपराध क्रमांक 115/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

4. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ हैं :-

1. क्या आरोपीगण पुलिस थाना एण्डोरी के अपराध क्र0 61/11 में हाजिर होने के लिए न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.11 को जारी उद्घोषणा के पालन में दिनांक 08.08.11 को न्यायालय में हाजिर नहीं हुए थे?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रधान आरक्षक बुलाकी सिंह गुर्जर अ0सा01, ए0एस0आई0 सुभाष पाण्डेय अ0सा02, रमेश अ0सा03 एवं शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव अ0सा04 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में बुलाकी सिंह गुर्जर अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी राजकुमार, इन्दल, वकील, रामवीर, मोहरसिंह एवं दलवीर को जानता है। आरोपी भूरा, राकेश एवं मनोज को नहीं जानता है तथा देखकर भी नहीं पहचान सकता है। उसे घटना की जानकारी नहीं है उसके सामने कुछ नहीं हुआ था। उसके सामने एण्डोरी पुलिस ने स्कूल में राजकुमार वगैरह की सूची चिपकाई थी उसमें 7-8 लोगों के नाम लिखे थे पुलिस वालों ने उससे कागज पर हस्ताक्षर कराए थे। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 09.07.11 को आरोपीगण के निवास स्थान एवं सार्वजनिक स्थल पर उसके सामने उद्घोषणा चरपा की गई थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने ग्वालियर पुलिस की मारपीट की थी।

8. साक्षी रमेश अ0सा03 ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को जानता है उसके सामने कुछ नहीं हुआ था। उसके सामने एण्डोरी पुलिस ने आरोपीगण के निवास स्थान एवं सार्वजनिक स्थान पर कोई सूचना चरपा नहीं की थी। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने भी अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय में हाजिर न होने पर उद्घोषणा पत्र जारी किए गए थे एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उक्त उद्घोषणा पत्र आरोपीगण के निवासस्थान एवं सार्वजनिक स्थान पर चरपा कर दिए थे।

9. साक्षी शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव अ0सा04 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 08.07.11 को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी गोहद के न्यायालय में निष्पादन लिपिक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अप0 क्र0 61/11 में आरोपीगण के फरार होने के कारण उनके विरुद्ध धारा 82 की उद्घोषणा जारी की गई थी। आरोपीगण को दिनांक 08.08.11 तक न्यायालय में उपस्थित होना था परंतु आरोपीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.11 को आरोपीगण के विरुद्ध उद्घोषणा जारी की गई थी जो क्रमशः प्र0पी010 लगायत 18 है।

10. ए0 एस0 आई0 सुभाष पाण्डेय अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने विवेचना के दौरान आरोपी इन्दल सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी02 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 29.09.11 को उसने आरोपी वकील सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी03 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 17.02.12 को प्र0 आ0 राधाकृष्ण ने आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी05 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर राधाकृष्ण के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 02.11.11 को राधाकृष्ण ने आरोपी दलवीर एवं रामवीर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी06 एवं 7 बनाए थे जिनके ए से ए भाग पर राधाकृष्ण के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 24.08.11 को राधाकृष्ण ने प्र0पी08 का पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर राधाकृष्ण के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही रमेश, बुलाकी सिंह एवं शैलू उर्फ शैलेन्द्र के कथन राधाकृष्ण ने लेखबद्ध किए थे। प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वकील सिंह के उद्घोषणा पत्र के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है एवं यह भी स्वीकार किया

है कि वकीलसिंह पुत्र औतार सिंह को सूचना पहुंची थी। पद क्र05 में उक्त साक्षी का कहना है कि धारा 82 के उद्घोषणा पत्र कब जारी हुए थे उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी बुलाकी सिंह गुर्जर अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अपने मुख्यपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि वह आरोपी राजकुमार, इन्दल, वकील, रामवीर, मोहरसिंह एवं दलवीर को जानता है तथा भूरा राकेश एवं मनोज को नहीं जानता है उसे घटना की जानकारी नहीं है उसके सामने कुछ नहीं हुआ था उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके सामने एण्डोरी पुलिस ने स्कूल में राजकुमार वगैरह की सूची चिपकाई थी जिसमें 7-8 लोगों के नाम लिखे थे। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने दिनांक 09.07.11 को आरोपी राजकुमार, इन्दल, वकील, रामवीर, मोहरसिंह, दलवीर, राकेश, भूरा एवं मनोज के निवासस्थान पर एवं सार्वजनिक स्थान पर उद्घोषणा चस्पा की गई थी। इस प्रकार साक्षी बुलाकी सिंह अ0सा01 के कथन से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि उसके सामने पुलिस ने राजकुमार वगैरह की सूची चिपकाई थी परंतु प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 2 में उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण के निवास स्थान एवं सार्वजनिक स्थल पर उद्घोषणा चस्पा की थी। उक्त साक्षी ने घटना की जानकारी न होना बताया है। साक्षी बुलाकी सिंह अ0सा01 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथन विश्वासयोग्य नहीं हैं।

13. साक्षी रमेश अ0सा03 ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि उसके सामने कुछ नहीं हुआ था उसके सामने एण्डोरी पुलिस ने उनके निवास स्थान एवं सार्वजनिक स्थान पर कोई सूचना चस्पा नहीं की थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने आरोपीगण के निवास स्थान एवं सार्वजनिक स्थान पर उद्घोषणा चस्पा की थी। इस प्रकार रमेश अ0सा03 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14. साक्षी शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव अ0सा04 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 08.07.11 को वह गोहद न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के न्यायालय में निष्पादन लिपिक के पद पर पदस्थ था तथा उक्त दिनांक को आरोपीगण के विरुद्ध धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की गई थी जो प्र0पी010 लगायत 18 है। आरोपीगण को दिनांक 08.08.11 तक न्यायालय में उपस्थित होना था एवं आरोपीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे।

15. इस प्रकार साक्षी शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव अ0सा04 ने अपने कथन में यह बताया है कि दिनांक 08.07.11 को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध प्र0पी0 10 लगायत 18 की उद्घोषणा जारी की गई थी तथा आरोपीगण उक्त उद्घोषणा के पालन में दिनांक 08.08.11 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। यहां यह उल्लेखनीय है कि आरोपीगण उद्घोषणा के पालन में दिनांक 08.08.11 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। उक्त संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय की आदेशपत्रिका अभियोजन द्वारा प्रकट नहीं की गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ए0 एस0 आई0 सुभाष पाण्डेय अ0सा02 जिनके द्वारा प्रकरण में विवेचना की गई है, ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि वकील सिंह के उद्घोषणा पत्र के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है तथा यह भी स्वीकार किया है कि धारा 82 के अंतर्गत जारी उद्घोषणा की प्रति में वकील सिंह के पिता का नाम औतार सिंह लेख है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा आरोपी वकील सिंह को जारी उद्घोषणा की जो प्रतिलिपि प्र0पी012 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है उसमें आरोपी वकील सिंह के पिता का नाम औतार सिंह लेख है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोग पत्र वकील सिंह पुत्र रामसहाय गुर्जर के विरुद्ध पेश किया गया है ऐसी स्थिति में यही दर्शित होता है कि आरोपी वकील पुत्र रामसहाय गुर्जर को उद्घोषणा जारी नहीं हुई थी।

16. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उद्घोषणा जारी होने के पश्चात उद्घोषित व्यक्ति को उद्घोषणा संसूचित होना आवश्यक है तथा द0प्र0सं0 की धारा 82 के खण्ड 3 के अनुसार "उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन कि उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन सम्यक रूप में प्रकाशित कर दी गई थी इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई थी।" इस प्रकार धारा 82 द0प्र0सं0 के अनुसार उद्घोषणा के प्रकाशन के संबंध में न्यायालय का लिखित कथन आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव अ0सा04 ने अपने कथन में यह तो बताया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.11 को उद्घोषणा जारी की गई थी परंतु उक्त संबंध में न्यायालय की आदेश पत्रिका अभियोजन द्वारा प्रकट नहीं की गई है जो कि द0प्र0सं0 की धारा 82 के अनुसार आवश्यक था। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा ऐसी भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि उद्घोषणा आरोपीगण को संसूचित हो गई थी। अभियोजन की ओर से उक्त संबंध में न्यायालय की आदेश पत्रिका एवं मौके पर बनाए गए किसी पंचनामे को भी अभिलेख पर प्रदर्शित नहीं कराया गया है। स्वतंत्र साक्षी बुलाकी सिंह अ0सा01 एवं रमेश अ0सा03 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

17. प्रस्तुत प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 174(क) के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं एवं उक्त अपराध को प्रमाणित होने के लिए अभियोजन द्वारा दो बातें प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। प्रथम आरोपीगण के विरुद्ध उद्घोषणा जारी की गई थी एवं द्वितीय आरोपीगण को उद्घोषणा की संसूचना हो गई थी एवं संसूचना होने के पश्चात भी आरोपीगण उद्घोषणा की अपेक्षा अनुसार न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव अ0सा04 ने अपने कथन में यह तो बताया है कि आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय द्वारा प्र0पी010 लगायत 18 की उद्घोषणा जारी की गई थी परंतु उक्त संबंध में न्यायालय की कोई आदेश पत्रिका अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि आरोपीगण के विरुद्ध उद्घोषणा प्रकाशित हुई थी तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आरोपीगण को उद्घोषणा संसूचित हो

गई थी उक्त संबंध में अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उद्घोषणा आरोपीगण को संसूचित हो गई थी। उद्घोषणा आरोपीगण को संसूचित होने के संबंध में कोई पंचनामा, समाचार पत्र की प्रति अभियोजन की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है एवं स्वतंत्र साक्षी बुलाकी सिंह गुर्जर अ0सा01 एवं रमेश अ0सा03 ने भी इस तथ्य से इंकार किया है कि उनके सामने आरोपीगण के निवास स्थान एवं सार्वजनिक स्थान पर उद्घोषणा चस्पा की गई थी। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

18. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।

19. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण पुलिस थाना एण्डोरी के अपराध क्र0 61/11 में हाजिर होने के लिए न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.11 को द0प्र0सं0 की धारा 82 के उपखण्ड 1 के अंतर्गत जारी उद्घोषणा में वर्णित अनुसार दिनांक 08.08.11 को न्यायालय में हाजिर नहीं हुए थे। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए आरोपी इन्दल उर्फ इन्द्रा, राजकुमार, मोहरसिंह, मनोज, राकेश, दलवीर सिंह, भूरा, रामवीर एवं वकील में से प्रत्येक को भा0द0सं0 की धारा 174(क) के आरोप से दोषमुक्त करती है।

20. आरोपी इन्दल उर्फ इन्द्रा, राजकुमार, मोहरसिंह, राकेश, दलवीर सिंह, भूरा, रामवीर एवं वकील पूर्व से जमानत पर हैं। अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

21. आरोपी मनोज जेल में है। उसे रिहा किया जावे।

22. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 18-12-2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)